GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRIOTORY OF DELHI
(LABOUR DEPARTMENT)
5-SHAM NATH MARG, DELHI-54

No. F-1/31/642/LC/Estt/Misc/2010/1240 **Dated :- 11/6/11**

CIRCULAR

Please find enclosed herewith a copy of the under mentioned orders/circulars/ letters for necessary action/compliance.

(BIJANDRA SINGH)
Assistant Labour Commissioner (Co-Ordination)

List of paper(s) forwarded :-

Sl. No.	Name of the Officer & Ministry/ Department	O.M. No./ Endorsement No.	Subject
1	Under Secy. to the Govt. of India, Ministry of Labour & Employment.	F. No. A -12025/06 /2009-ISH.II dated 17/5/10	Filling up of Four Posts of Dy. Director (Occupational Health) in the pre-revised scale of Rs. 12000-375-16500 in the Directorate General of Mines Safety (DGMS), Dhanbad, Minitry of Labour & Employment by transfer on deputation (including short-term contract.)
2	Under Secy. to the Govt. of India, Ministry of Labour & Employment.	F. No. A -12025/06 /2009-ISH.II dated 17/5/10	Filling up of Ten (10) Posts of Director of Mines Safety (Mechanical) in the (pre-revised scale of Rs. 14300-400-18300) (Rs. 37400-67000/- revised pay band with Grade Pay of Rs. 8700/-) in the Directorate General of Mines Safety (DGMS), Dhanbad, Minitry of Labour & Employment by transfer on deputation (including short-term contract.)

Copy forwarded for information and necessary action to :-

1. P.S. to Labour Commissioner, Labour Department, Delhi
2. P.A. to Special Commissioner (Labour) Labour Department, Delhi.
3. P.A. to JLC-II & DLC (HQ), Labour Department, Delhi.
4. All DLCs./Branch Incharges, Labour Department, Delhi.
5. Assistant Programmer (EDP Cell) with the request to update the said Circular on the web site of Labour Department.
6. Guard file

(289)

51

1807/Le
31/5/10

F.No.A-12025/05/2009-ISH.II
Government of India
Ministry of Labour & Employment
....

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg,
New Delhi, dated 17th May, 2010.

To

1. All Ministries/Departments of the Government of India.
2. All State Governments.
3. Union Public Service Commission, New Delhi.

Subject : Filling up of ten (10) posts of Director of Mines Safety(Mechanical) (pre-revised pay scale of Rs.14300 – 400 – 18300/-) (Rs.37400 – 67000/- Revised Pay Band with Grade Pay of Rs.8700/-) in the Directorate General of Mines Safety (DGMS), Dhanbad, Ministry of Labour & Employment by transfer on deputation (including short-term contract).

Sir,

I am directed to say that it is proposed to fill up ten (10) posts of Director of Mines Safey (Mechanical) (pre-revised pay scale of Rs.14300 – 400 – 18300/-) (Rs.37400 – 67000/- Revised Pay Band with Grade Pay of Rs.8700/-) in the Directorate General of Mines Safety (DGMS), Dhanbad, Ministry of Labour & Employment by transfer on deputation (including short-term contract) from amongst officers under the Central Government/State Governments/recognized research institutions/statutory or autonomous organizations :-

a) i) holding analogous posts on regular basis;

OR

ii) with three years' regular service in posts in the pre-revised scale of Rs.14300 – 400 – 18300/- or equivalent;

OR

iii) with five years' regular service in posts in the pre-revised scale of Rs. 12000 – 375 – 16500/- or equivalent; and

b) Possessing the following educational qualifications and experience :

ESSENTIAL

i) Degree in Mechanical Engineering from a recognized University or equivalent.

ii) Twelve years' experience in an industrial installation or engineering workshop (including at least three years' experience in mechanical engineering in direct relation to plant and equipment used in mining).

....2/-

NOTE :-

1. **Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.**

2. **The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.**

DESIRABLE

Post-graduate degree in Mechanical Engineering.

(The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. The period of deputation/contract including the period of deputation/contract in another ex-cadre post held immediately preceding appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall not exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)

2. The vacancies are in the Directorate General of Mines Safety (DGMS), Dhanbad, but the selected candidates are liable to be transferred anywhere in India.

3. The duties of the post are as under :-

i) To monitor the performance of mechanical units of zones.
ii) To assist Director General in framing policies, drafting standards and granting approval of mines safety equipments related with mechanical installation.
iii) To issue instructions/guidelines/clarification to Zones/Regions/Industry on safe use of machinery in mines.
iv) To assist Director General in issuing permissions, relaxations and exemptions from statutory provisions on the subject of mechanical installations, use and maintenance of plant and machinery in mines.
v) To inspect the workshops of approved manufacturers of checking the testing facilities and quality control arrangement, etc.

4. The officer selected will have the option to draw his grade pay plus deputation (duty) allowance in accordance with the Department of Personnel and Training O.M. No.2/12/87-Estt.(Pay-II) dated 29/04/1988 as amended from time to time or to have his pay fixed in the scale of pay of the post subject to restrictions contained in the Deptt. of Personnel and Training O.M. No.2/8/97-Estt.(Pay-II) dated 11/03/1988 as amended from time to time.

50

5. With a view to facilitate scrutiny about eligibility, the candidates from Public Sector Undertakings should clearly indicate whether the pay scale held by them is on the Central D.A. Pattern or the Industrial D.A. Pattern.

6. It is requested that the vacancy may be circulated to all concerned including the officers working in the recognized research institutions/statutory or autonomous organizations under your control and the applications (in duplicate) in the enclosed proforma along with the complete and up-to-date Confidential Reports of the officers who could be spared in the event of selection, **may be sent to this Ministry within 60 days from the date of publication of this Circular**. Applications received after the last date or without the Confidential Reports or otherwise found incomplete will not be considered. Cadre Controlling Authority may also kindly ensure that while forwarding the applications, they should verify and certify that the particulars furnished by the officer are correct. It may also be certified that no major or minor penalty was imposed on the officer during the last 10 years of his service and no disciplinary case is pending or contemplated against the officer.

Yours faithfully,

(Subhash Chand)
Under Secretary to the Govt. of India.
Tel.: 23766903

Copy to :-

1. All attached/subordinate offices under the Ministry of Labour & Employment.
2. All Autonomous Organisations under the Ministry of Labour & Employment.
3. Shri S.J. Sibal, Director General, DGMS, Dhanbad.

(Subhash Chand)
Under Secretary to the Govt. of India.
Tel.: 23766903

--4/-

BIO-DATA PROFORMA

1. Name and address in Block letters :

2. Date of Birth (in Christian era) :

3. Date of retirement under Central/State Govt.:

4. Educational Qualifications :

5. Whether educational and other qualification required for the post are satisfied (if any qualification has been treated as equivalent to the one prescribed in the rules, state authority for the same.)

Qualifications/experience Required	Qualifications/experience possessed by the officer

Essential :
(1)
(2)
(3)
Desirable :
(1)
(2)

6. Please state clearly whether in the light of entries made by you above, you meet the requirements of the post. :

7. Details of employment, in chronological order (enclose a separate sheet, duly authenticated by your signature, if the space below is insufficient.)

Office/ Instt./ Orgn.	Post held	From	To	Scale of pay and basic pay	Nature of duties
1.	2.	3.	4.	5.	6.

8. Nature of present employment, i.e. ad-hoc or temporary or quasi-permanent or permanent. :

9. In case the present employment is held on deputation/contract basis, please state: :

   (a) The date of initial appointment :
   (b) Period of appointment on deputation/ contract. :
   (c) Name of the parent Office/Organisation to which you belong. :

10. Additional details of present employment.Please state whether working under :-

   (a) Central Government :
   (b) State Government :
   (c) Autonomous Organisation :
   (d) Government Undertaking :
   (e) Universities. :

11. Are you in revised scale of pay ? If yes, give the date from which the revision took place and also the pre-revised scale.

12. Total emoluments per month now drawn :

    Basis Pay :
    D.A. :
    Total Emoluments :

13. Additional information, if any, which you would like to mention in support of your suitability for the post. Enclose a separate sheet, if the space is insufficient.

14. Whether belongs to SC/ST/OBC :
15. Remarks, if any.

Date : (Signature of candidate)
Place :

Countersigned :
Address :
(Employer)

CERTIFICATE TO BE RECORDED BY THE EMPLOYER WHILE FORWARDING THE APPLICATION

Certified that the particulars filled by Shri ________________

Designation ____________________ have been verified and found correct. It is also certified that no vigilance case is pending or contemplated against Shri - ____________________________ and his integrity is beyond doubt. Character Roll is enclosed.

SIGNATURE OF THE EMPLOYING AUTHORITY
WITH STAMP AND DATE.

सं.ए-12025/05/2009-आईएसएच .II
भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग
नई दिल्ली, दिनांक 17 मई, 2010

सेवार्थ

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. सभी राज्य सरकार
3. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली

विषय: खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस), धनबाद श्रम और रोजगार मंत्रालय में (14300-400-18300 रूपये के पूर्व-संशोधित वेतनमान में) (37400-67000/- रुपये के संशोधित पे बैंड में 8700/- रुपये की ग्रेड पे के साथ) निदेशक, खान सुरक्षा (यांत्रिकी) के दस (10) पदों को प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पावधि अनुबंध सहित) पर भरा जाना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस), धनबाद श्रम और रोजगार मंत्रालय में (14300-400-18300 रुपये के पूर्व-संशोधित वेतनमान में) (37400-67000/- रुपये के संशोधित पे बैंड में 8700/- रुपये की ग्रेड पे के साथ) निदेशक, खान सुरक्षा (यांत्रिकी) के दस (10) पदों को केंद्र सरकार/राज्य सरकारों/सार्वजनिक उपक्रमों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों/सांविधिक या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पावधि अनुबंध सहित) के जरिए भरने का प्रस्ताव है:-

(क) (i) जो सदृश पदों पर नियमित आधार पर हों;

अथवा

(ii) जिन्होंने 14300-400-18300/-रुपये या समतुल्य के पूर्व-संशोधित वेतनमान में पदों पर तीन वर्षों की नियमित सेवा की हो;

अथवा

(iii) जिन्होंने 12000-375-16500/- रुपये या समतुल्य के पूर्व-संशोधित वेतनमान में पदों पर पाँच वर्षों की नियमित सेवा की हो; और

(ख) निम्नांकित शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव रखते हों-

अनिवार्य

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिकी इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा समकक्ष।

(ii) औद्योगिक स्थापन अथवा इंजीनियरिंग वर्कशॉप (खनन में प्रयुक्त औजारों एवं प्लांट से प्रत्यक्ष रूप में संबंधित यांत्रिकी इंजीनियरिंग में कम से कम तीन वर्ष के अनुभव को शामिल करते हुए) में बारह वर्षों का अनुभव।

टिप्पणी

1. यदि उम्मीदवार अन्यथा अर्हताप्राप्त हों तो संघ लोक सेवा आयोग अपने विवेक से अर्हताओं में छूट दे सकता है।

..2/-

2. यदि चयन के किसी भी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का यह विचार हो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए ऐसे समुदाय के अपेक्षित अनुभव वाले उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो ऐसे मामले में संघ लोक सेवा आयोग अनुभव संबंधी अर्हता में अपने विवेक से छूट दे सकता है।

<u>वांछनीय</u>

यांत्रिकी इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिग्री।

[फीडर संवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे जो पदोन्नति की सीधी लाइन में हैं। इसी प्रकार,प्रतिनियुक्त अधिकारी भी पदोन्नति पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति/अनुबंध की अवधि,उसी या केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग में नियुक्ति से ठीक पूर्व धारित अन्य संवर्गेतर पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, पाँच वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति(अल्पावधि अनुबंध सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।]

2. रिक्ति खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस), धनबाद में है किंतु चयनित उम्मीदवार का भारत में कहीं भी स्थानांतरण किया जा सकता है।

3. पद के कर्तव्य निम्नानुसार हैं-

i) जोनों की यांत्रिक इकाइयों के निष्पादन का अनुवीक्षण करना।
ii) नीति निर्धारण, मानक प्रारूपण एवं यांत्रिक स्थापन से संबंधित खान सुरक्षा औजारों के अनुमोदन की स्वीकृति में महानिदेशक की सहायता करना।
iii) खानों में मशीनों के सुरक्षित प्रयोग के संबंध में जोनों/क्षेत्रों/उद्योगों को निदेश/दिशा-निर्देश/स्पष्टीकरण जारी करना।
iv) यांत्रिक स्थापन, प्लांट एवं मशीनरी के रख-रखाव एवं प्रयोग के विषय पर सांविधिक उपबंधों से मुक्ति, छूट एवं अनुमति जारी करने में महानिदेशक की सहायता करना।
v) जाँच सुविधाओं एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रबंधों, इत्यादि की चैकिंग हेतु अनुमोदित विनिर्माताओं की कार्यशालाओं का निरीक्षण करना।

4. चयनित अधिकारी के पास कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 29.4.1988 के का.ज्ञा. संख्या 2/12/87-स्था.(पे-II) के अनुरूप ग्रेड-पे के साथ प्रतिनियुक्ति(ड्यूटी) भत्ता आहरित करने अथवा पद के वेतनमान में निर्धारित करवाने का विकल्प होगा बशर्ते यह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 11/03/1988 के समय-समय पर यथासंशोधित का.ज्ञा. संख्या 2/8/97-स्था.(पे-II) में निर्धारित सीमाओं के भीतर हो।

5. पात्रता संबंधी संवीक्षा में सहूलियत के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए कि उनके द्वारा धारित वेतनमान केंद्रीय महंगाई भत्ते की पद्धति पर है अथवा औद्योगिक महंगाई भत्ते की पद्धति पर।

6. अनुरोध है कि अपने नियंत्रणाधीन मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/सांविधिक या स्वायत्त संगठनों में कार्यरत अधिकारियों सहित सभी संबंधितों में इस रिक्ति को परिचालित करें और ऐसे

...3/-

पात्र अधिकारियों से संलग्न प्रारूप में आवेदन (दो प्रतियों में) के साथ पूर्ण तथा अद्यतन गोपनीय रिपोर्टें इस **परिपत्र के प्रकाशित होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर** मंत्रालय को भेजे जाएं, चयन हो जाने की स्थिति में जिनकी सेवा उपलब्ध कराई जा सके। अंतिम तारीख के बाद अथवा गोपनीय रिपोर्टों के बिना प्राप्त अथवा अन्य रूप से अपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण आवेदन अग्रेषित करते समय कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि यह सत्यापित और प्रमाणित कर लिया जाए कि अधिकारी द्वारा दिए गए विवरण सही हैं। यह भी प्रमाणित किया जाए कि अधिकारी पर पिछले 10 वर्षों की सेवा के दौरान कोई छोटी या बड़ी शास्तियां नहीं लगाई गई हैं और अधिकारी के विरुद्ध कोई आनुशासनिक मामला लंबित अथवा विचारणीय नहीं है।

भवदीय

(सुभाष चन्द)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष- 23766903

प्रति:

1. श्रम और रोजगार मंत्रालय के सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय।
2. श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संगठन।
3. श्री एस.जे. सिबल,महानिदेशक,डीजीएमएस, धनबाद।

(सुभाष चन्द)

अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष फैक्स नं. 23766903

...4/-

जीवन-वृत्त प्रोफार्मा

1. नाम और पता (साफ अक्षरों में) :
2. जन्म तारीख (ईस्वी सन में) :
3. केन्द्र/राज्य सरकार के अंतर्गत सेवा निवृत्ति की तारीख :
4. शैक्षिक अर्हताएं :
5. क्या पद के लिए शैक्षिक तथा अन्य अपेक्षित अर्हताएं पूरी करते हैं या नहीं (यदि किसी अर्हता को नियमों में निर्धारित के समतुल्य माना गया है तो उसके प्राधिकरण का उल्लेख करें) :

		अपेक्षित अर्हताएं/ अनुभव	अधिकारी की अर्हताएं/ अनुभव
अनिवार्य	(1)		
	(2)		
	(3)		
वांछनीय	(1)		
	(2)		

6. कृपया स्पष्ट बताएं कि स्वयं द्वारा की गई उक्त प्रविष्टियों के आलोक में आप पद की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं या नहीं।

7. नियोजन का क्रमिक ब्यौरा(अगर स्थान कम हो तो अलग कागज लगाएं जो आपके हस्ताक्षर द्वारा विधिवत् प्रमाणित हो)

कार्यालय/ संस्थान/संगठन	धारित पद	कब से	कब तक	वेतनमान तथा मूल वेतन	कार्य की प्रकृति
1.	2.	3.	4.	5.	6.

...5/-

46

8. वर्तमान नियोजन की प्रकृति अर्थात् तदर्थ अथवा अस्थायी अथवा अर्ध-स्थायी या स्थायी :

9. वर्तमान नियोजन प्रतिनियुक्ति/ अनुबंध आधार पर होने की स्थिति में निम्नांकित ब्यौरा दें- :

क) प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख :

ख) प्रतिनियुक्ति/अनुबंध पर नियुक्ति की अवधि :

ग) मूल कार्यालय/संगठन का नाम जिससे आप संबंधित हैं :

10. वर्तमान नियोजन के बारे में अतिरिक्त विवरण। कृपया बताएं कि आप किसके तहत नियोजित हैं:

क) केन्द्र सरकार :
ख) राज्य सरकार :
ग) स्वायत्त संगठन :
घ) सरकारी उपक्रम :
ङ) विश्वविद्यालय :

11. क्या आप पुनरीक्षित वेतनमान में हैं? यदि हां, तो पुनरीक्षण प्रभावी होने की तारीख और पूर्व-संशोधित वेतनमान का उल्लेख करें :

12. प्रतिमाह आहरित कुल वर्तमान परिलब्धियां:

1. मूल वेतन----------
2. महंगाई भत्ता-------
3. कुल परिलब्धियां----------

13. कोई ऐसी अतिरिक्त सूचना जिसका आप इस पद के प्रति अपनी उपयुक्तता के समर्थन में उल्लेख करना चाहें। अगर स्थान कम हो तो अलग कागज लगाएं। :

14. क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं? :

15. अभ्युक्तियां,यदि कोई हों :

तारीखः (अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

पताः

स्थानः

प्रतिहस्ताक्षरः

पताः

(नियोक्ता)

आवेदन अग्रेषित करते समय नियोक्ता द्वारा अभिलिखित प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ----------------------------(पदनाम)---------------- द्वारा दिए गए विवरण सत्यापित किए गए हैं और सही पाए गए हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री-------------------- के विरुद्ध कोई सतर्कता मामला लंबित अथवा विचारणीय नहीं है तथा उनकी सत्यनिष्ठा संदेह से परे है। चरित्र-पंजी संलग्न है।

नियोक्ता प्राधिकारी की मुहर
तथा दिनांक सहित हस्ताक्षर

F.No. A-12025/06/2009 -ISH.II
Government of India
Ministry of Labour & Employment

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg,
New Delhi, dated the 17th May 2010.

To

1. All Ministries /Departments of the Government of India.
2. All State Governments.
3. Union Public Service Commission.

Subject: Filling up of four posts of Deputy Director (Occupational Health) in the pre- revised scale of pay of Rs. 12000-375-16500 in the Directorate General of Mines Safety (DGMS), Dhanbad, Ministry of Labour & Employment by transfer on deputation (including short-term contract).

Sir,

I am directed to say that it is proposed to fill up four posts of Deputy Director (Occupational Health) in the pre-revised pay scale of Rs. 12000-375-16500/- in the Directorate General of Mines Safety (DGMS), Dhanbad which is a subordinate office of Ministry of Labour & Employment by transfer on deputation (including short-term contract) from amongst Officers under the Central Government/State Governments/Recognised Research Institutions/Statutory or Autonomous Organisations :-

(a) (i) holding analogous posts on regular basis;

OR

(ii) with five years' regular service in posts in the pre-revised scale of Rs. 10000- 325-15200 /- or equivalent;

OR

(iii) with ten years' regular service in posts in the pre-revised scale of Rs.8000-275-13500/- or equivalent; and

(b) Possessing the following educational qualifications and experience :

Essential

(i) A recognized medical qualification included in the First or the Second Schedule or Part II of the Third Schedule (Other than the licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should fulfill the conditions stipulated in Section 13(3) of the said Act.

(ii) A recognized Post-graduate Degree in Social and Preventive Medicine/Industrial Hygiene/ Physiological Medicine/ Occupational Health or equivalent.

..2/-

(iii) Ten years experience in a responsible capacity in the fiel Occupational Health preferably in mines and factories.

NOTE 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

NOTE 2. The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available, to fill up the vacancies reserved for them.

[The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. The period of deputation/contract including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding appointment in the same or some other organisation/ department of the Central Government shall not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.]

2. The vacancy is in the Directorate General of Mines Safety, Dhanbad, but the selected candidate is liable to be transferred to anywhere in India.

3. The duties of the post are as under:

i) To develop and carry out programmes of conducting surveys of environmental conditions pertaining to the health of workers in the mines.
ii) To develop and carry out programmes and investigations into the incidence of occupational diseases in mines.
iii) All surveys, studies and investigations relating to Occupational Health, Procurement of equipment for Occupational Health Laboratory..
iv) Developing and carrying out programmes and investigations into the incidence of occupational diseases in mines and physiological effects of mining work on different categories of mine workers.
v) To oversee initial and periodical Medical Examinations of mine workers conducted by mine management and Occupational health Services set up by Mining Companies.
vi) To work as Member-Secretary of the Senior, Junior and Periodic Medical Boards under the CMR, 1957/the MMR, 1961.
vii) To carry out all work in connections with Appellate Medical Board(s) constituted under Mines Rules; and Pneumoconiosis Medical Board(s)/Occupational Diseases Board(s) etc.

viii) To deal with all complaints and queries relating to health and welfare matters in mines.

4. The Officer selected will have the option to draw his grade pay plus deputation (duty) allowance in accordance with the Department of Personnel and Training O.M. No. 2/12/87-Estt. (Pay-II) dated 29/04/1988 as amended from time to time or to have his pay fixed in the scale of pay of the post subject to restrictions contained in the Department of Personnel and Training O.M. No. 2/8/97-Estt. (Pay - II) dated 11/03/1998 as amended from time to time.

5. With a view to facilitate scrutiny about eligibility, the candidates from Public Sector Undertakings should clearly indicate whether the pay scale held by them is on the Central D.A. Pattern or the Industrial D.A. Pattern.

6 It is requested that the vacancy may be circulated to all concerned including the Officers working in the recognised research institutions/public undertakings /statutory or autonomous organisations under your control and the applications (in duplicate) in the enclosed proforma alongwith the complete and up-to-date confidential reports of the Officers who could be spared in the event of selection **may be sent to this Ministry within two months from the date of publication of this Circular**. Applications received after the last date or without the confidential reports or otherwise found incomplete will not be considered. Cadre controlling authority may also kindly ensure that while forwarding the applications, they should verify and certify that the particulars furnished by the Officer are correct. It may also be certified that no major or minor penalty was imposed on the officer during the last 10 years of his service and no disciplinary case is pending or contemplated against the Officer.

Yours faithfully,

(Subhash Chand)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel: 23766903

Copy to:

1. All attached /subordinate offices under the Ministry of Labour & Employment.
2. All autonomous organizations under the Ministry of Labour & Employment.
3. Shri S.J Sibal, Director General, DGMS, Dhanbad.
   - w.r.t. their letter No.2A(3)2007-Adm.I/3400 dated 15/03/2010.

(Subhash Chand)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel: 23766903

BIO-DATA PROFORMA

1. Name and address in Block letters :

2. Date of Birth(in Christian era) :

3. Date of retirement under Central /State Government :

4. Educational Qualifications :

5. Whether educational and other qualification required for the post are satisfied (if any qualification has been treated as equivalent to the one prescribed in the rules, state the authority for the same) :

		Qualifications /experience required	Qualifications /experience possessed by the Officer
Essential	(1)		
	(2)		
	(3)		
Desirable	(1)		
	(2)		

6. Please state clearly whether in the light of entries made by you above, you meet the requirements of the post

7. Details of employment, in chronological order (enclose a separate sheet, duly authenticated by your signature, if the space below is insufficient)

Office /Instt./Orgn.	Post held	From	To	Scale of Pay and basic pay	Nature of duties
1.	2.	3.	4.	5.	6.

8. Nature of present employment, i.e. ad-hoc or temporary or quasi-permanent or permanent :

9. In case the present employment is held on deputation/contract basis, please state: :

(a) The date of initial appointment :

(b) Period of appointment on deputation /.contract :

(c) Name of the parent Office /Organisation to which you belong :

10. Additional details of present employment. Please state whether working under :

(a) Central Government :

(b) State Government :

(c) Autonomous Organisation :

(d) Government Undertakings :

(e) Universities :

11. Are you in revised scale of pay? If yes, give the date from which the revision took place and also the pre-revised scale :

12. Total emoluments per month now drawn:

1. Basic Pay -------------------

2. D.A.-------------------------

3. Total emoluments --------

13. Additional information, if any, which you would like to mention in support of your suitability for the post. Enclose a separate sheet, if the space is insufficient. :

14. Whether belongs to SC/ST/OBC :

15. Remarks, if any. :

Date: (Signature of candidate)
Place: Address:

Countersigned
Address :
(Employer)

CERTIFICATE TO BE RECORDED BY THE EMPLOYER WHILE FORWARDING THE APPLICATION

Certified that the particulars filled by Shri ______________________________ Designation________________________ have been verified and found correct. It is also certified that no vigilance case is pending or contemplated against Shri____
and his integrity is beyond doubt. Character Roll is enclosed.

SIGNATURE OF THE EMPLOYING AUTHORITY
WITH STAMP AND DATE

42

सं.ए-12025/06/2009-आईएसएच .II
भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग
नई दिल्ली, दिनांक 17 मई, 2010

सेवार्थ
1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. सभी राज्य सरकार
3. संघ लोक सेवा आयोग

विषय: खान सुरक्षा महानिदेशालय(डीजीएमएस), धनबाद, श्रम और रोजगार मंत्रालय में 12000-375-16500 रूपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान में उप निदेशक(व्यावसायिक स्वास्थ्य) के चार पदों को प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पावधि अनुबंध सहित) पर भरा जाना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय खान सुरक्षा महानिदेशालय(डीजीएमएस), धनबाद में 12000-375-16500 रूपए के संशोधन-पूर्व वेतनमान में उप निदेशक(व्यावसायिक स्वास्थ्य) के चार पदों को केंद्र सरकार/राज्य सरकारों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों/सांविधिक या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पावधि अनुबंध सहित) के जरिए भरने का प्रस्ताव है:-

(क) (i) जो सदृश पदों पर नियमित आधार पर हों;

अथवा

(ii) जिन्होंने 10000-325-15200/-रुपये या समतुल्य के संशोधन-पूर्व वेतनमान में पदों पर पांच वर्षों की नियमित सेवा की हो;

अथवा

(iii) जिन्होंने 8000-275-13500/- रुपये या समतुल्य के संशोधन-पूर्व वेतनमान में पदों पर दस वर्षों की नियमित सेवा की हो; और

(ख) निम्नांकित शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव रखते हों:

अनिवार्य

(i) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम,1956 (1956 का 102) की प्रथम अथवा द्वितीय अनुसूची अथवा तृतीय अनुसूची के भाग II (लाइसेंस प्राप्त योग्यता के अतिरिक्त अन्य) में शामिल मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता। तृतीय अनुसूची के भाग II में शामिल शैक्षणिक योग्यता धारकों को उक्त अधिनियम की धारा 13(3) में निर्धारित शर्तों को पूरा करना चाहिए।

(ii) सामाजिक एवं उपचारात्मक चिकित्सा/औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान/मनौवैज्ञानिक चिकित्सा/व्यावसायिक स्वास्थ्य अथवा समतुल्य में मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री।

(iii) व्यावसायिक स्वास्थ्य के क्षेत्र विशेषकर खानों एवं कारखानों में किसी उत्तरदायी पद पर दस वर्ष का अनुभव।

टिप्पणी 1. यदि उम्मीदवार अन्यथा अर्हताप्राप्त हों तो संघ लोक सेवा आयोग अपने विवेक से अर्हताओं में छूट दे सकता है।

..2/-

टिप्पणी 2. यदि चयन के किसी भी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का विचार हो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए ऐसे समुदाय के अपेक्षित अनुभव वाले उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो ऐसे मामले में आयोग अनुभव संबंधी अर्हता में अपने विवेक से छूट दे सकता है।

[फीडर संवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे जो पदोन्नति की सीधी लाइन में हैं। इसी प्रकार,प्रतिनियुक्त अधिकारी भी पदोन्नति पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति/अनुबंध की अवधि,उसी या केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन / विभाग में नियुक्ति से ठीक पूर्व धारित अन्य संवर्गेतर पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, चार वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति(अल्पावधि अनुबंध सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।]

2. रिक्ति खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस), धनबाद में है किंतु चयनित उम्मीदवार का भारत में कहीं भी स्थानांतरण किया जा सकता है।

3. पद के कर्तव्य निम्नानुसार हैं-

i) खानों में कामगारों के स्वास्थ्य से संबंधित पर्यावरणीय दशाओं के सर्वेक्षण करने हेतु कार्यक्रमों को विकसित करना एवं संचालित करना।

ii) खानों में व्यावसायिक रोगों की घटना की जाँच एवं कार्यक्रमों को विकसित करना एवं संचालित करना।

iii) व्यावसायिक स्वास्थ्य, व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला के उपकरणों की उपलब्धता से संबंधित सभी सर्वेक्षण, अध्ययन एवं जाँच करना।

iv) खानों में व्यावसायिक रोगों की घटना एवं खनन कार्य का खान कामगारों के विभिन्न वर्गों पर होने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभावों की जाँच एवं कार्यक्रमों को विकसित करना एवं संचालित करना।

v) खान प्रबंधन एवं खान कम्पनियों द्वारा स्थापित व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा आयोजित खान कामगारों की प्रारंभिक एवं आवधिक चिकित्सकीय जाँचों को देखना।

vi) सीएमआर,1957/एमएमआर,1961 के अंतर्गत वरिष्ठ, कनिष्ठ एवं आवधिक चिकित्सा बोर्डों के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करना।

vii) खान नियमावली के अंतर्गत गठित अपीलीय चिकित्सा बोर्ड(बोर्डों); न्युमोकोनिओसिस चिकित्सा बोर्ड(बोर्डों)/व्यावसायिक रोग बोर्ड(बोर्डों) इत्यादि से संबंधित सभी कार्य करना;

viii) खानों में स्वास्थ्य एवं कल्याण मामलों से संबंधित सभी शिकायतों एवं प्रश्नों को देखना।

4. चयनित अधिकारी के पास कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 29.4.1988 के का.ज्ञा. संख्या 2/12/87-स्था.(पे-II) के अनुरूप ग्रेड-पे के साथ प्रतिनियुक्ति(ड्यूटी) भत्ता आहरित करने अथवा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 11/03/1998 के समय-समय पर यथासंशोधित का.ज्ञा. संख्या 2/8/97-स्था.(पे-II) में निर्धारित सीमाओं के अध्यधीन पद के वेतनमान में निर्धारित करवाने का विकल्प होगा।

...3/–

5. पात्रता संबंधी संवीक्षा में सहूलियत के लिए,सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के अभ्यर्थियों को स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए कि उनके द्वारा धारित वेतनमान केंद्रीय महंगाई भत्ते की पद्धति पर है अथवा औद्योगिक महंगाई भत्ते की पद्धति पर।

6. अनुरोध है कि अपने नियंत्रणाधीन मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/ सार्वजनिक उपक्रमों/सांविधिक या स्वायत्त संगठनों में कार्यरत अधिकारियों सहित सभी संबंधितों में इस रिक्ति को परिचालित करें और चयन होने की स्थिति में सेवा उपलब्ध कराये जा सकने वाले अधिकारियों के संलग्न प्रारूप में आवेदन (दो प्रतियों में) के साथ पूर्ण तथा अद्यतन गोपनीय रिपोर्टें इस **परिपत्र के प्रकाशित होने की तारीख से दो माह के भीतर मंत्रालय को भेजे जाएं**। अंतिम तारीख के बाद अथवा गोपनीय रिपोर्टों के बिना प्राप्त अथवा अन्य रूप से अपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी आवेदन अग्रेषित करते समय कृपया यह सत्यापित और प्रमाणित करना सुनिश्चित करें कि अधिकारी द्वारा दिए गए विवरण सही हैं। यह भी प्रमाणित किया जाए कि अधिकारी पर पिछले 10 वर्षों की सेवा के दौरान कोई छोटी या बड़ी शास्तियां नहीं लगाई गई हैं और अधिकारी के विरुद्ध कोई आनुशासनिक मामला लंबित अथवा विचारणीय नहीं है।

भवदीय

(सुभाष चन्द)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष- 23766903

प्रति:

1. श्रम और रोजगार मंत्रालय के सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय।
2. श्रम और रोजगार मंत्रालय के सभी स्वायत्त संगठन।
3. श्री एस.जे. सिबल,महानिदेशक,डीजीएमएस, धनबाद को उनके दिनांक 15.03.2010 के पत्रांक 2ए(3)2007-प्रशा. I/3400 के संदर्भ में।

(सुभाष चन्द)

अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23766903

...4/-

जीवन-वृत्त प्रोफार्मा

1. नाम और पता (साफ अक्षरों में) :

2. जन्म तारीख :

3. केन्द्र/राज्य सरकार के नियमान्तर्गत सेवा निवृत्ति की तारीख :

4. शैक्षिक अर्हताएं :

5. क्या पद के लिए शैक्षिक तथा अन्य अपेक्षित अर्हताएं पूरी करते हैं या नहीं (यदि किसी अर्हता को नियमों में निर्धारित के समतुल्य माना गया है तो उसके प्राधिकरण का उल्लेख करें) :

	अपेक्षित अर्हताएं/ अनुभव	अधिकारी की अर्हताएं/ अनुभव
अनिवार्य	(1)	
	(2)	
	(3)	
वांछित	(1)	
	(2)	

6. कृपया स्पष्ट बताएं कि स्वयं द्वारा की गई उक्त प्रविष्टियों के आलोक में आप पद की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं या नहीं।

7. नियोजन का क्रमिक ब्यौरा(अगर स्थान कम हो तो अलग कागज लगाएं जो आपके हस्ताक्षर द्वारा विधिवत् प्रमाणित हो)

कार्यालय/ संस्थान/संगठन	धारित पद	कब से	कब तक	वेतनमान तथा मूल वेतन	कार्य की प्रकृति
1.	2.	3.	4.	5.	6.

50

8. वर्तमान नियोजन की प्रकृति अर्थात् तदर्थ अथवा अस्थायी अथवा अर्ध-स्थायी या स्थायी :

9. वर्तमान नियोजन प्रतिनियुक्ति/ अनुबंध आधार पर होने की स्थिति में निम्नांकित ब्यौरा दें- :

क) प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख :

ख) प्रतिनियुक्ति/अनुबंध पर नियुक्ति की अवधि :

ग) मूल कार्यालय/संगठन का नाम जिससे आप संबंधित हैं :

10. वर्तमान नियोजन के बारे में अतिरिक्त विवरण। कृपया बताएं कि आप किसके तहत नियोजित हैं:

क) केन्द्र सरकार :

ख) राज्य सरकार :

ग) स्वायत्त संगठन :

घ) सरकारी उपक्रम :

ङ) विश्वविद्यालय :

11. क्या आप पुनरीक्षित वेतनमान में हैं? यदि हां, तो पुनरीक्षण प्रभावी होने की तारीख और पुनरीक्षण-पूर्व के वेतनमान का उल्लेख करें :

12. प्रतिमाह आहरित कुल वर्तमान परिलब्धियां:

1. मूल वेतन----------

2. महंगाई भत्ता-------

3. कुल परिलब्धियां----------

13. कोई ऐसी अतिरिक्त सूचना जिसका आप इस पद के प्रति अपनी उपयुक्तता के समर्थन में उल्लेख करना चाहें। अगर स्थान कम हो तो अलग कागज लगाएं। :

..5/-

14. क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं? :

15. अभ्युक्तियां,यदि कोई हों :

तारीख: (अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

पता:

स्थान:

प्रतिहस्ताक्षर:

पता:

(नियोक्ता)

<u>आवेदन अग्रेषित करते समय नियोक्ता द्वारा अभिलिखित प्रमाणपत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ----------------------(पदनाम)------द्वारा दिए गए विवरण सत्यापित किए गए हैं और सही पाए गए हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री---------------------- के विरुद्ध कोई सतर्कता मामला लंबित अथवा विचारणीय नहीं है तथा उनकी सत्यनिष्ठा संदेह से परे है। चरित्र-पंजी संलग्न है।

नियोक्ता प्राधिकारी का मुहर
तथा दिनांक सहित हस्ताक्षर